प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. – 729/2001

संजय केरकेट्टा

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 09/02/2005 हेतु सूचीबद्ध

हस्ताक्षर

वी.के.श्रीवास्तव
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र.– 729/2001

अपीलार्थी संजय केरकेट्टा
पिता– ज्वाकिम केरकेट्टा
आयु– 24 वर्ष
निवासी–ग्राम जगरपुर
थाना व तहसील– बगीचा
जिला– जशपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, जशपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

अपीलार्थी वास्ते – श्री योगेश पाण्डे , अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी /राज्य वास्ते – श्री एम.पी.एस.भाटिया व श्री संजय कुमार अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता

-

निर्णय

दिनांक 9 फरवरी 2005

माननीय न्यायाधीश श्री विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा पारित

---

(1) यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा एस.टी. क्रमांक 190/2000 में दिनांक 09/07/2001 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा– 363, 366 एवं 376(2)(एफ) के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा तद्नुसार क्रमशः 5(पांच) वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/–(एक हजार) रूपये का अर्थदण्ड व अर्थदण्ड व्यतिक्रम करने पर 3(तीन) माह के अतिरिक्त कठोर

कारावास , 5(पांच) वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/–(एक हजार) रूपये का अर्थदण्ड व अर्थदण्ड व्यतिक्रम करने पर 3 (तीन) माह के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास , 10(दस) वर्ष के लिए कठोर कारावास तथा 10,000/–(दस हजार) रूपये का अर्थदण्ड व अर्थदण्ड व्यतिक्रम करने पर 1 (एक) वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया।

(2) अपीलकर्ता अभियोक्त्री के पिता का किरायेदार है। दिनांक 05/07/2000 को, वह अभियोक्त्री के घर आया तथा उसे व उसके पिता को मिठाई लेने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए, वे दोनों उसके घर चले गए। अपने घर में अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री के पिता थादियुश एक्का से यह कहा कि वह दर्जी की दुकान से वापस आने तक उसकी प्रतीक्षा करें। वह अपने साथ अभियोक्त्री को , जो 10 वर्ष की लड़की थी, ले गया। जब दोनों वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद, पीड़िता के पिता ने उसी दिन आधी रात को पुलिस में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन सुबह पुलिस ने अपीलार्थी और अभियोक्त्री को पकड़ लिया गया , बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया, अभियोक्त्री और अपीलकर्ता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया, अभियोजन पक्ष और गवाहों के बयान दर्ज किए गए और उचित जांच के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि, अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत दंडनीय अपराध किया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया , जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु सुपुर्द किया। अपीलकर्ता ने अपराध से इनकार किया व बचाव में यह तर्क दिया कि अभियोक्त्री के पिता ने उससे परिसर खाली कराने के इरादे से उसके विरूद्ध यह झूठा प्रकरण बनाया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद परीक्षण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आवेदक ने अभियोक्त्री, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी, को उसके विधिपूर्ण अभिभावक की संरक्षण से व्यपहरण कर लिया था, ताकि वह उसके साथ यौन संबंध बना सके तथा उसने उसके साथ बलात्कार किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया और पूर्वोक्त दण्डादेश पारित किया।

(4) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा परीक्षण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

(5) कांति एक्का (अ.सा./1) और थाडियुश एक्का (अ.सा./5), जो अभियोक्त्री (अ.सा./4) के क्रमशः माता और पिता हैं, ने कथन किया कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग दस वर्ष थी। मकारियुष टिक्का (अ.सा./7) ने कथन किया है कि वह छात्रों का स्कूल रजिस्टर रखता है और उस रजिस्टर की प्रविष्टि के अनुसार अभियोक्त्री की जन्म तिथि– दिनांक–16/12/1989 है। डॉ. श्रीमती विनोदिनी बाखला (अ.सा./11) ने एक्स–रे रिपोर्ट की जांच के बाद राय व्यक्त की है कि अभियोक्त्री की उम्र 9 से 10 वर्ष के बीच थी।

(6) विद्वान परीक्षण न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष थी। अपीलकर्ता ने अपने तर्कों में न तो इस निष्कर्ष को चुनौती दी है और न ही इसका खंडन करने के लिए कोई सामग्री अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) बलात्कार के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> **"375 बलात्संग–** "जो पुरूष एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छः भांति की परिस्थितियों में मैथुन करता है वह पुरूष 'बलात्संग' करता है ,
>
> यह कहा जाता है–
>
> पहला – xxxxxxxxx
>
> दूसरा – xxxxxxxxx
>
> तीसरा –xxxxxxxxx
>
> चौथा – xxxxxxxxx
>
> पांचवा –xxxxxxxxx
>
> छठा – उस स्त्री की सममति से या बिना सम्मति के, जब कि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन
गठित
करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।

(8) उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए योनि में लिंग का प्रवेश अपरिहार्य है। अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अपीलकर्ता ने उसका अंडरवियर उतार दिया, उसे धमकाया और उसे अपना लिंग हाथ में लेने को कहा तथा जबरन अपना लिंग उसके हाथ में रख दिया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा है कि अपीलकर्ता ने अपना लिंग उसके योनि में डाला या यहां तक कि ऐसा प्रयास भी किया हो। इसलिए, जब अभियोक्त्री ने अपील के द्वारा संभोग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, तो केवल चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर, और वह भी केवल गुप्तांग पर कुछ चोटों के कारण, यह नहीं माना जा सकता कि अभियोक्त्री की योनी पर लगी चोटें संभोग का परिणाम थीं। अभियोक्त्री ने स्वयं यह कथन किया है कि, उसके गुप्तांग पर झाड़ियों और साइकिल के ब्रेक से चोटें आईं। निश्चित तौर पर, अभियोक्त्री ने यह कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा अनैतिक कार्य किया गया है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई यौन संबंध बनाए हैं। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्त्री के हाथ में लिंग देना ही अनैतिक कार्य है। अतः इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत है कि, पीड़िता पर बलात्कार के संबंध में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत निर्धारित किया गया है तथा इसे यथावत नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री का अंडरवियर उतार दिया था तथा अपना लिंग जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया था तथा उक्त साक्ष्य का ना तो खंडन किया गया है और न ही उस पर अविश्वास करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध है, इसलिए, निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग करके उसकी शील भंग करने के लिए ऐसा किया था।

(10) भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए, साबित करने के लिए आवश्यक तत्व यह हैं कि किसी स्त्री को इस आशय अथवा ज्ञान के साथ व्यपहरण किया जावे कि उस स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए विवश की जाएगी अथवा उसे अवैध संभोग के लिए विवश की जाएगी या की जा सकती है।

(11) अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री, जो 12 वर्ष की अव्यस्क स्त्री/लड़की थी, को ले गया तथा उसे पूरी रात अपने साथ रखा। उसने ना तो संभोग करने का प्रयास किया और ना ही विवाह करने का प्रयास किया। अभिलेख में ऐसा कुछ विद्यमान नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलकर्ता का आशय उस लड़की से विवाह करने या उसके साथ अवैध संभोग करने का था। यदि उसका आशय संभोग करने का होता, तो पर्याप्त समय होने पर अपीलकर्ता ने उस मौके को छोड़ा नहीं होता। इसलिए, उक्त परिदृश्य में, यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ता ने अवैध संभोग करने या अभियोक्त्री से शादी करने के आशय से उसका व्यपहरण किया।

(12) अभियोक्त्री (अ.सा./4) और उसकी मां कांति एक्का (अ.सा./1) और पिता थदियुश एक्का (अ.सा./5) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के मिठाई लेने के निमंत्रण पर अभियोक्त्री और उसके पिता अपीलकर्ता के साथ गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) अभियोक्त्री (अ.सा./4) ने यह कथन किया है कि अपीलकर्ता उसे सिल कुमार, कंदरा, बेंदर और नूरभट्ट के घर शराब की तलाश में ले गया और जब उसे शराब नहीं मिली तो उसे जंगल में ले गया और पूरी रात अपीलकर्ता ने उसे वहीं रखा और उसके बाद वह उसे कंदा के घर ले गया, जहां वह सो गई, जहां पुलिस आई और अभियोक्त्री और अपीलकर्ता को एक साथ पकड़ लिया।

(14) अ.सा./2, सिल कुमार ने अभियोक्त्री के साक्ष्य का समर्थन करने के लिए यह कथन किया कि अपीलकर्ता अभियोक्त्री के साथ उसके घर आया था और शराब की मांग किया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, उसके बाद अपीलकर्ता अभियोक्त्री के साथ वहां से चला गया। थादियुश एक्का (अ.सा./5) ने यह साक्ष्य दिया कि जब अपीलार्थी और अभियोक्त्री वापस नहीं आए तो उन्होंने अनिल कुजूर के साथ मिलकर अपीलार्थी और अभियोक्त्री की तलाश की, लेकिन वे दोनों नहीं मिले। इसके बाद, उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और अगले दिन सुबह–सुबह पुलिस अभियोक्त्री को लेकर आई। अनिल कुजूर (अ.सा./3) ने कथन किया कि उन्होंने थादियुश एक्का के साथ मिलकर रात में अपीलकर्ता और अभियोक्त्री की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। कांति एक्का (अ.सा./1) ने भी अपने कथन में यह स्पष्ट की है कि अपीलकर्ता और अभियोक्त्री के ठिकानों की तलाश की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। प्रतापचंद

टोप्पो (अ.सा./6) और एस.आर. धृत लहरे (अ.सा.12) ने यह स्पष्ट किया है कि, अभियोक्त्री और अपीलकर्ता को अगले दिन सुबह ही बरामद कर लिया गया था, अभियोक्त्री को अपीलकर्ता की अभिरक्षा से बरामद कर लिया गया था। उपरोक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने योग्य कोई सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(15) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री, जो 12 वर्ष की अवयस्क लड़की है, को ले गया तथा उसे पूरी रात अपने साथ रखा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि, आरंभ में अभियोक्त्री को अपीलकर्ता उसके विधिक अभिभावक के ज्ञान से ले गया था, लेकिन विधिक अभिभावक ने अपीलकर्ता को अपनी बेटी को पूरी रात उनसे दूर रखने की सहमति नहीं दी थी। यद्यपि अभियोक्त्री को बाहर ले जाने की बात उनकी ज्ञान में थी और क्योंकि वे लोग युक्तियुक्त समय के भीतर वापस नहीं आए , इसलिए , खोज की गई। इससे यह स्पष्ट है कि विधिपूर्ण संरक्षक ने अपीलकर्ता को उसकी बेटी को उसके विधिक संरक्षण से ले जाने की सहमति नहीं दीए थे , वह भी पूरी रात के लिए। अतः यह सिद्ध हो गया कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री, जो 12 वर्ष की नाबालिग लड़की है, को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना उसके संरक्षण से बाहर ले गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई अन्य तथ्य या विवाद्यक नहीं उठाए गए हैं।

(17) उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 एवं 376 के अन्तर्गत अपराध करने हेतु दोषसिद्ध कर त्रुटि की गयी है। विद्वान परीक्षण न्यायालय को अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 354 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध मानना चाहिए था।

(18) तद्नुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ता के विरूद्ध विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश को खारिज किया जाता है तथा अपीलकर्ता को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दोषसिद्धि तथा उक्त धारा के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दी गई दण्डादेश को यथावत रखा जाता है। अपीलकर्ता को

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है और उसे एक वर्ष का कारावास व 1,000/– (एक हजार रुपये) का अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया जाता है व अर्थदण्ड व्यतिक्रम करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि , भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 354 के अंतर्गत दिए गए दण्डादेश एकसाथ भुगताए जाएंगे।

(19) उद्ग्रहित अर्थदण्ड राशि में से 2,000/–(दो हजार रुपये) की धनराशि अभियोक्त्री को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त की जाए। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित शेष आदेश/निर्देश यथावत रखे जाते हैं।

हस्ताक्षर
श्री वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv Neeta Verma